



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1611]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 8, 2017/ज्येष्ठ 18, 1939

No. 1611]

NEW DELHI, THURSDAY JUNE 8, 2017/JYAISTHA 18, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 2017

आय-कर

का.आ. 1818(अ).—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 54डंग के स्पष्टीकरण के खंड (खग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित करती है कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन बनाई गई तथा रजिस्ट्रीकृत कंपनी है, द्वारा तीन वर्ष के पश्चात् पुनःमोचनीय तथा 15 जून, 2017 को या उसके पश्चात् जारी कोई बंधपत्र उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए “दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति” के रूप में होगी।

[अधिसूचना संख्या 47/2017/फा. सं. 370142/18/2017-टी.पी.एल]

अभिषेक गौतम, अवर सचिव (कर नीति और विधान)